अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मसूदा
श्री महेन्द्रसिंह बनाम श्री चन्दनसिंह व अन्य
किस्म मुकदमा 212 आर0टी0ए0 नंबर 58 सन्..2011

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/2/18	वकुलांए फरीकेन उपस्थित। प्रार्थना पत्र 212 राज0 काश्त0 अधि0 पर पर बहस सुनी गई। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में सारांशतः कथन किया है, कि मौजा मसूदा तहसील में स्थित हाल खसरा नंबर 3587, 3587, 3587, 3588 एंव उक्त भूमियो को कुंआ लंका भूमि के नाम से जाना जाता है, बाद में इनके हाल खसरा नंबर 3587/1 एंव खसरा नबर 3588 कायम हुये तथा हाल खसरा नंबर 4387, 4388, 4400 उक्त भूमियो को गोपालसाग के पीछोर वाली जमीन के नाम से जाना जाता है तथा प्रार्थना पत्र में प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 के पूर्वज स्व0 मगनसिंह जी के बापदादाओ की वंशावली प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 2 में अंकित है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या क में वर्णित काश्त भूमिया स्व0 मगनसिंह के कब्जे काश्त एंव खुदकाश्त की भूमियां पूर्व इस्तमरारदार मसूदा के समय से चली आ रही थी सेटलमेंट 1359 फसली सन् 1951 में हुआ था उसके पूर्व मगनसिंह जी का देहान्त हो जाने के कारण से वरवक्त सेटलमेंट प्रार्थी महेन्द्रसिंह नाबालिग था उस वक्त मगनसिंह जी के पुत्रगण स्व0 हरीसिंह, चन्दनसिंह, प्रभूसिंह ने मिली भगती करके अपने तीनो का नाम 1359 फसली में लिखा दिया था और प्रार्थी महेन्द्रसिंह व स्व0 वीरसिंह का नाम नही लिखया किन्तु उक्त भूमियां पुश्तैनी दर्ज किया है, इस कारण से उक्त भूमियां स्व0 मगनसिंह के उपरोक्त पांचू पुत्रगण की संयुक्त पैतृक अविभाजित भूमियां है, जिन पर कब्जा मगनसिंह जी के समय से ही संयुक्त कब्जा काश्त चला आ रहा है, किन्तु तत्कालिन सेटलमेंट 1359 फसली की मिसल बन्दोबस्त में केवल हरीसिंह, चन्दनसिंह व प्रभूसिंह का अकेलो का नाम ही गलत दर्ज कर दिया। उक्त तथ्यो के अनुसार प्रार्थी अपना तथा स्व0 वीरसिंह की पुत्री का नाम व प्रभूसिंह के वारीसान का नाम जुडवाने व रेकार्ड दुरूस्ती कराने का अधिकारी है। इसलिये प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 क में वर्णित भूमि में प्रार्थी 1/5 हिस्से का अप्रार्थी संख्या 1 चन्दसिंह 1/5 हिस्से का और अप्रार्थी संख्या 2, 1/5 हिस्से का अप्रार्थी संख्या 3 व 4 का 1/5 हिस्से तथा अप्रार्थी संख्या 5 का 1/5 हिस्सा है। इसी प्रकार प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 ख मं वर्णित भूमियो के प्रार्थी तथा अप्रार्थी संख्या 1 चन्दनसिंह स्व0 हरीसिंह व प्रभूसिंह जी एव अप्रार्थी संख्या 5 के पिता स्व. वीरसिंह खातेदार काश्तकार दर्ज थे किन्तु उनमें से वीरसिंह गुजर चुके है लेकिन जमाबंदी में वीरसिंह के स्थान पर उसकी पुत्री सुशीला का नाम दर्ज हो गया है किन्तु उसको पुत्री के स्थान पर गलत बैवा दर्ज कर दिया जिसको दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 का संयुक्त कब्जा काश्त चला आ रहा है। जबकि प्रार्थी व अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 5 भी हरीसिंह व चन्दनसिंह के साथ खातेदार है, किन्तु उनका नाम हटवा दिया गया है, लेकिन	

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर) राज0

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रभूसिंह के वारीसान अप्रार्थीगण संख्या 4 व 5 जिन्दा है, इसलिये उक्त इन्द्राज जमाबंदी में गलत है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 क ख में वर्णित भूमियो का आज दिवस तक विभाजन नही हुआ है, तथा अप्राथी संख्या 1 का नाम गलत दर्ज होने के कारण से भूमियो को खुर्द बुर्द करने के लिये आमादा है, इस नियत से दिनांक 1.7.2011 को अजनबी व्यक्तियो को विवादित भूमियो पर लाये और दिखाने लगे तथा प्रार्थी ने जमीन का विभाजन कराने व रेकार्ड दुरूस्ती करवाने के लिये कहां तो दिनांक 10.7.2011 को इन्कार हो गया इसलिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा उक्त तथ्यो को वाद भी माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रखा है, जिसमें सफलता मिलने की पूरी पूरी सम्भावना है, तथा उक्त तथ्यो के आधार पर प्रार्थी के हक में प्रथम दृष्टिया केस बनता है, और सहुलियत का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है, तथा अपूर्णीय क्षति का बिन्दू भी प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद के निस्तारण तक पांबद किया जावे कि वे विवादित भूमियो को बेचान, हस्तांतरण आदि नही करे तथा प्रार्थी को विवादित भूमियो से बेदखल नही करे। अप्रार्थीगण संख्या 3 व 4 ने जवाबप्रार्थना पत्र पेश करते हुये प्रार्थी द्धारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के कथनो को स्वीकार करते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को नकारते हुये जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी पर श्री हरीसिंह, चन्दनसिंह व प्रभूसिंह पिसरान मगनलाल कौम गहलोत 1359 फसी से है जो कि काबिज काश्त व खातेदार जो कि राजस्व रेकार्ड से स्पष्ट होता है, वीरसिंह पुत्र मगनलाल पुत्र रेवतसिंह ने अपने जीवनकाल में दिनांक 23.11.1952 को अपनी अंतिम वसीयत में कोई भी हिस्सा नही दिया है, इस कारण वीरसिंह का वादग्रस्त आराजी में स्व0 मगनलाल के जीवनकाल में कभी भी कब्जा नही रहा ना ही स्व0 मगनलाल जी के देहान्त पश्चात ही रहा है। प्रार्थी महेन्द्रसिंह ने वादग्रस्त आराजी का कभी भी बंटवारा नही करवा सकता है। ना ही प्रार्थी ने वादग्रस्त आराजी पर कोई पैसा खर्च किया। प्रार्थी अप्रार्थी की खातेदारी की जमीन को हडप करने की नियत बना रखी है। जबकि विवादित भूमि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का 1/2, 1/2 हिस्सा नियत है। तथा प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 ख में वर्णित भूमियो में अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का 1/4, 1/4 हिस्सा नियत है, तथा प्रार्थी का भी 1/4 हिस्सा निहित चला आ रहा है। मसूदा राज दरबार द्धारा अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2 के पिता स्व0 श्री हरीसिंह पुत्र मगनलाल जी को नजराने में पट्टा दिया गया था तब से ही अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पिता खातेदार काश्तकार हो गये उसके बाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ। प्रार्थी अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 4 द्धारा दिनांक 31.10.1989 व दिनांक 8.8.1983	

(सुरेश चावला)
उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर
मसूदा (अजमेर) राजस्थान

श्री महेन्द्रसिंह बनाम श्री चन्दनसिंह व अन्य
किस्म मुकदमा 212 आर0टी0ए0 नंबर 58 सन्..2011

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मियाद बाहर है। तथा प्रार्थी के हक में कोई प्रथम दृष्टिया केस व सहुलियत का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दू नही बनता है,तथा काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर विवादित भूमियो का बॉई मिट्स बाउण्डस विभाजन की मांग की है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे व खर्चे के खारीज किया जावे।

अप्रार्थीगण संख्या 1/1 लगायत 1/5 ने जवाबप्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की और से पूर्व में प्रस्तुत जवाबप्रार्थना पत्र का ही जवाब प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थना पत्र उभयपक्षकारान के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

मेरे द्धारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया बाद अवलोकन जमाबंदीसंवत 2066 से 2069 में विवादित भूमियो हरीसिंह, चन्दनसिंह पिसरान मगनलाल देवेन्द्रसिंह पुत्र प्रभूसिंह, चन्द्रकला बैवा प्रभूसिंह के नाम खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2066 से 2069 में खसरा नंबर 3587/1 व 3588 हरीसिंह, चन्दनसिंह पिसरान मगनलाल के नाम खातेदारी में दर्ज होना पाया गया। इसी प्रकार जमाबंदी संवत 2066 से 2069 में खाता संख्या 786 में सुशीलादेवी बैवा वीरसिंह, हरीसिंह, चन्दनसिंह, प्रभूसिंह व महेन्द्रसिंह पिसरान मगनलाल खातेदार दर्ज होना पाया गया। एंव अप्रार्थी द्धारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार राज मसूदा द्धारा साबिक खसरा नंबर 1076, 1077, 1078, 1079 हरीसिह, चन्दनसिंह पिसरान मगन जी नजराणा पट्टा दिनांक 15.12.1949 के अनुसार दिया जाना पाया गया।तथा पारिवारिक सेटलमेंट के दस्तावेजात अनुसार विभाजन होना पाया गया। ऐसी स्थिति में उक्त विवेचन व पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजी साक्ष्य के अनुसार प्रार्थी के हक में मामला प्रथम दृष्टिया केस व सहुलियत का संन्तुलन बनना नहीं पाया जाता है। जहां पर प्रार्थी द्धारा प्रथम दृष्टिया केस साबित करने में असफल होने पर प्रार्थी को किसी भी प्रकार की कोई अपूर्णीय क्षति होना नही पाया जाता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्धारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नही पाया जाता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्वीकार किया जाकर खारीज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। पत्रावली फेसलशुमार होकर नंबर से कम हो।

अतः आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी, मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.11.26 13:32:48 IST
Reason: SelfAttested
Location: